



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

[Phone No. 07152-232669, Fax No. 07152-247602]

[Website : www.hindivishwa.org]

निविदा

Tender No. : MGAHV/CD/34/2020-21/01

Date : 22.07.2020

विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी भवन के पास प्रोफाइल शीट से निर्मित कैटीन के आबंटन हेतु निविदा की पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध है।

कादर नवाज
कुलसचिव

22/07/2020



ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. राजेश्वर सिंह

Dr. Rajeshwar Singh

सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)

Assistant Registrar (Campus Development)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669

मोबाईल / Mob. : 09823499988

फैक्स / Fax : +91-7152-232669

क्रमांक: 34/2019-20/Shop/CD/405

दिनांक: 22-07.2020

कैंटीन आबंटन हेतु सूचना

विश्वविद्यालय परिसर के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन स्थित कैंटीन का आबंटन किया जाना है:-

1. कैंटीन हेतु आवेदन दिनांक 22.7.2020 से दिनांक 17.08.2020 अपराह्न 05:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. सीलबंद आवेदन कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अथवा केंद्रीकृत डाक विभाग में कार्यालयीन दिवसों में ही स्वीकार्य होगा। लिफाफे पर "कैंटीन हेतु आवेदन" स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो।
3. कैंटीन का आबंटन प्रथमतः 02 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष की अवधि (प्रति दो वर्ष बाद 10% वृद्धि का प्रावधान) तक बढ़ाया जा सकता है।
4. कैंटीन हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD., की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह देय होगी।
5. पानी शुल्क कैंटीन हेतु रु.100/- (रुपया सौ मात्र) प्रति माह की दर से देय होगा।
6. आबंटित कैंटीन अधिकतम सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुला रखना होगा।
7. आबंटित कैंटीन को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कैंटीन में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कैंटीन आबंटि द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
8. आबंटि व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में कैंटीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए कैंटीन खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य परिवर्तन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेश्वर सिंह

Dr. Rajeshwar Singh

सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)

Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669

मोबाईल / Mob. : 09823499988

फैक्स / Fax : +91-7152-232669

9. कैंटीन में सिर्फ बिस्किट, नमकीन, पेटीज, समोसा, कचोरी, चाय, कॉफी के अलावा रोजमर्रा की जरूरत के समान बेचने की अनुमति होगी। इससे अधिक चीज बेचने से पहले विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
10. कैंटीन के भीतर तथा कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार के भोजन, नाश्ता आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी।
11. Technical & Financial Bid अलग-अलग लिफाफे में जमा कराना एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों फर्म का नाम व पता होना अनिवार्य है।
12. कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हेतु सामाजिक दूरी (Social Distance) बनाए रखने एवं सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कार्यों का निष्पादन करना होगा।
13. विश्वविद्यालय के स्थायी, अस्थायी व आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कोई भी कर्मि या विश्वविद्यालय का नियमित छात्र निविदा भरने के लिए अपात्र होगा।
14. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटि को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
15. आबंटि को अपने Pan Card, Aadhar Card, की हस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
16. कैंटीन पाने वाले फर्म के द्वारा रु. 100 (रुपया सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
17. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुपलति महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा।
19. समस्त विवाद वर्धा, न्यायालय के परिक्षेत्र के अधीन होंगे।

(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने हेतु) —
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. संबंधित पत्रावली



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

कैटीन आबंटन हेतु सूचना के आवश्यक बिन्दु

तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय परिसर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन (अकादमिक भवन) स्थित कैटीन के आबंटन हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. रु. 500 की डी.डी. (आवदेन शुल्क) (अहस्तान्तरणीय)

वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा महाराष्ट्र के नाम

2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।

3. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।

4. प्रत्येक माह बिल भुगतान

बिल प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बिल का भुगतान वित्त विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि कैटीन आबंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे मंजूर हैं। यदि नियम/शर्तें मेरे द्वारा तोड़ी जाती हैं तो विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए मेरे ऊपर किसी भी तरह की विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- पिन कोड-
- मोबाइल नं.-
- ई-मेल-



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

कैंटीन आबंटन हेतु सूचना के आवश्यक बिन्दु

वित्तीय निविदा

क्रमांक	आबंटित की जाने वाली कैंटीन का स्थान	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर (प्रति वर्ग फिट)	कैंटीन के किराए की दर @ ₹ प्रति वर्ग फिट
01.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन (अकादमिक भवन)	134.05	₹ 05.00	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि कैंटीन आबंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे मंजूर हैं। यदि नियम/शर्तें मेरे द्वारा तोड़ी जाती हैं तो विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए मेरे ऊपर किसी भी तरह की विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- पिन कोड-
- मोबाइल नं.-
- ई-मेल-